राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3982/2018

राकेश कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.10.2018
आदेश की दिनांक : 09.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार चयनित वेतनमान हेतु प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुये 9 एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान समस्त ऐरियर मय पारिणामिक लाभों सहित दिया जावे तथा दिनांक 06.01.1998 से 24.12.1999 तक की प्रशिक्षण अवधि का अवकाश स्वीकृत करते हुये नियमानुसार अवकाश का भुगतान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह अभिकथन किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति राजस्थान मृतक आश्रित नियुक्ति नियम 1975/1996 के तहत मृतक आश्रित कोटे में चयन प्रक्रिया अपनाकर आदेश दिनांक 15.02.1994 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर के दिनांक 08.02.1994 के अनुमोदन पर श्रीमती कमला शर्मा मृत राज कर्मचारी के आश्रित अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 01.03.1994 को कार्यग्रहण किया था। उसके पश्चात् 2015–16 में अपीलार्थी को शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम के अन्तर्गत चयन किया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण

की सहमति से बी.एस.टी.सी. करने हेतु प्रत्यर्थीगण को दिनांक 06.01.1998 को प्रार्थना पत्र दिया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 06.01.1998 को मध्यान्ह पश्चात् जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोनेर में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु कार्यमुक्त करने के आदेश दिये। प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रायपुरा, फागी, जयपुर ने अपीलार्थी को दिनांक 06.01.1998 को कार्यमुक्त किया। अपीलार्थी ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोनेर में दिनांक 07.01.1998 से दिनांक 23.12.1999 तक उपस्थित रहकर बी.एस.टी.सी. द्विवर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण किया। अपीलार्थी ने प्रशिक्षण उपरांत प्रत्यर्थीगण को दिनांक 24.12.1999 को ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, गोनेर द्वारा उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया तथा दिनांक 24.12.1999 को ही प्रत्यर्थी विभाग में वापिस कार्यग्रहण कर लिया। परन्तु प्रत्यर्थीगण ने उक्त अवधि का आज तक भी अपीलार्थी को न तो अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया और न ही असाधारण अवकाश स्वीकृत किया। जबकि प्रत्यर्थीगण के नियुक्ति आदेश में यह शर्त थी कि अपीलार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करेगा तथा अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण की सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण प्राप्त किया है। नियमानुसार अपीलार्थी उक्त अवधि का राजस्थान सेवा नियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी उक्त अवधि में अनुपस्थित नहीं था तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा कार्यमुक्त करने पर ही गया था। इसलिए नियमानुसार उक्त अवधि का अपीलार्थी अध्ययन अवकाश/असाधारण अवकाश प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उक्त अवधि का वेतन भी नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अपीलार्थी को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार 9 वर्षीय चयनित वेतनमान अपीलार्थी की सेवा प्रशिक्षण प्राप्त करने की दिनांक से मानते हुए दिनांक 05.05.2009 से दिया गया तथा आलोच्य आदेश दिनांक 29.06.2018 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान अपीलार्थी की नियुक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि से मानते हुए अपीलार्थी को दिनांक 05.05.2018 से दिया गया। जबकि नियमानुसार अपीलार्थी का नियमित चयन होने के कारण अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवाओं से गणना करते हुए 9 वर्षीय परिलाभ 01.03.2003 से तथा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान 01.03.2012 से प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी के अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निस्तारित किये बिना प्रत्यर्थीगण ने सेवा नियमों के विपरीत जाकर कोर्ट ऑफ लॉ के खिलाफ जाकर अपीलार्थी को चयनित वेतनमान दिनांक 01.03.2012 की बजाय 05.05.2018 से दिया गया जो अपने आप में अवैध व अनुचित है तथा मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है।

प्रत्यर्थीगण द्वारा पूर्व में जो अप्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये गये थे, उनको बी.एस. टी.सी./बी.एड. करने के पश्चात् सेवाओं की गणना करते हुये चयनित वेतनमान दिया गया था, उन्होंने माननीय अधिकरण के समक्ष तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अनम्मा चाकू बनाम राज्य सरकार तथा श्रीमती पुष्पलता थाडा एवं अन्य बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जो शिक्षक अप्रशिक्षित होने के बावजूद अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्त किये गये थे, जिन्होंने बाद में बी.एस.टी.सी./बी.एड. का प्रशिक्षण प्राप्त किया, उनको प्रथम नियुक्ति की दिनांक से ही सेवाओं की गणना करते हुये चयनित वेतनमान दिया जाना चाहिये, प्रशिक्षण प्राप्त करने की दिनांक से देना अवैध एवं अनुचित है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार चयनित वेतनमान हेतु प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुये 9 एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान समस्त ऐरियर मय पारिणामिक लाभों सहित दिया जावे तथा दिनांक 06.01.1998 से 24.12.1999 तक की प्रशिक्षण अवधि का अवकाश स्वीकृत करते हुये नियमानुसार अवकाश का भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.12.1996 के द्वारा ''राजस्थान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम–1996'' लागू किये गये एवं इनके प्रावधानों को लागू किये जाने के साथ ही तत्समय जारी प्रावधान ''राजस्थान सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम–1975'' को निष्प्रभावी/निरस्त किया गया। ''राजस्थान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम–1996'' के नियम–9 प्रक्रियात्मक अपेक्षाऐं आदि – प्रारंभिक नियुक्ति के समय चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं, जैसे, प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा पर जोर नहीं दिया जायेगा, तथापि आश्रित से तीन वर्ष के भीतर स्थायीकरण की हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी और ऐसा ना होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वह ऐसी अहर्ता अर्जित नहीं कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अहर्ता अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से

काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की जायेगी किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं की जायेगी। अपीलार्थी को बीएड अथवा बीएसटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य था, अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश दिनांक 15.02.1994 में भी इस तथ्य को स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि *''अप्रशिक्षित होने के कारण प्रशिक्षण प्राप्ति तक कार्यारंभ तिथि से तृतीय वेतन श्रृंखला का न्यूनतम वेतन एवं नियमानुसार देय भत्ते ही देय होंगें।''* राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.06.2009 के अनुसरण में नियमित नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ प्राप्ति की अधिकारी होने से अपीलार्थी की उक्त अपील काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी राजस्थान आश्रित नियम, 1975 के अंतर्गत अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 15.02.1994 द्वारा आदेश दिनांक 08.02.1994 के अनुमोदन पर नियुक्ति हुई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 01.03.1994 को कार्यग्रहण किया था। हमारे मत में अनुकम्पा नियुक्ति नियमित नियुक्ति है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को एस.टी.सी./बी.एड. प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, जिस पर अपीलार्थी ने वर्ष 1999 एस.टी.सी. प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 06.01.1998 के द्वारा प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, जिसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। इस विलम्ब के कारण अपीलार्थी को हानि नहीं पहुँचाई जा सकती। अपीलार्थी के समान तथ्यों पर कार्मिक विभाग ने भी आदेश दिनांक 02.06.2013 में यह निर्देश जारी किए हैं कि मृतक आश्रित सेवा नियमों के तहत नियुक्त कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण दिनांक से मानी जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.एल.सी. 2003 यू.सी. पेज 677 गोविन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं रामचन्द्र बनाम अधिशाषी अभियंता व अन्य के प्रकरण (डब्ल्यू. एल. सी. (राज.) 1999 (1) पेज 258) के निर्णय में आश्रित नियमों के अंतर्गत की गई नियुक्ति को नियमित नियुक्ति ही माना है। इसलिए अपीलार्थी की सेवाओं की गणना कार्यग्रहण की दिनांक 11.09.1993 से गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2022 उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी नियुक्ति तिथि से ही चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की सेवाओं की गणना उसके कार्यग्रहण दिनांक 01.03.1994 से करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ एवं समस्त एरियर सहित पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य